संचिका सं0– टी–3(यो0)/भवन–33/2018...2058

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना–01

कौशलं बलम्

बिहार सरकार

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–15/10/2026

विषयः– **महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में जलापूर्ति प्रणाली (बोरिंग) का डिजाइन एवं निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रू0 22,46,500/–(बाइस लाख छियालिस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में जलापूर्ति प्रणाली (बोरिंग) का डिजाइन एवं निर्माण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक–538 दिनांक–08.04.2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल राशि रू0 22,46,500/– (बाइस लाख छियालिस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष –0003–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद्, विपत्र कोड–53–2230031010003 के विषय शीर्ष–0003–13–01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रावधानित राशि से की जाएगी

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या–टी–3(यो0)/भवन–33/2018-68/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

S. Agarwal
15/10/26

संयुक्त सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3(यो0)/भवन–33/2018.2058 पटना, दिनांक–15/10/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग /वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Aggarwal 15/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– टी–3(यो0)/भवन–33/2018.2058 /पटना, दिनांक–15/10/2026

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कोषागार, पदाधिकारी, शेखपुरा/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Aggarwal 15/10/26

सरकार के संयुक्त सचिव